न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 30/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा **– प्रार्थी**	**बनाम**	श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा स्थाई पता– मं.सं. एच–99, कीर्ति नगर, भीलवाडा **––विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 श्री दीपक कुमार, मुकेश वर्मा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

आदेश

दिनांक 28.06.2018

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् दूध, दही, पनीर इत्यादि का निर्माण कर विक्रय कर रहा था। श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता की दुकान पर स्टील के थाल में रखे हुए लगभग 8–10 किलो पनीर रखा हुआ था । रखे हुए पनीर में मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार पनीर का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड

होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.07.2016 को समय 5.10 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विकेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विकेता/मालिक की हैसियत से श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विकेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर था एवं आम जनता को पनीर इत्यादि विक्रय कर रहा था। विकेता/मालिक से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया । विकेता/मालिक द्वारा खाद्य लाईसेंस नही होना बताया गया। शीघ्र आवेदन कर पेश करने बाबत् कहा गया।

मौके पर गवाह व विकेता की उपस्थिति में 1 किलो पनीर एक साफ सुखी खाली स्टील के भगोनें में तुलवाकर खरीदा। इस बाबत् 280/–रू. नगद देकर रसीद प्राप्त की। गवाह व विकेता के सामने खरीदशुदा पनीर को चार साफ सुखे खाली चौड़े मुंह के प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक डिब्बे में 20–20 बूंदे फार्मलीन बतौर प्रिजरेटिव डालकर, ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोट सं. एल.एस./445/एक्ट/2016/495 दिनांक 05.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पनीर निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUBSTANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर द्वारा सबस्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 26.04.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.05.2017 को दर्ज़ रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 14.06.2017 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना पनीर सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने पनीर Milk fat content of dry matter (सूखे पदार्थ का दूध वसायुक्त पदार्थ) **42.67** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **50** प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड पनीर निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया , किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की कोई जांच रिपोर्ट विपक्षी को प्रेषित नही की गयी और न ही प्राप्त हुयी है। विपक्षी का आरोपित अपराध से कोई लेना देना नही है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी उसमें किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है तथा जिस बाबूलाल पायक को गवाह बनाया गया है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में कार्यरत है, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिशा निर्देशों की पालना करनी ही होती है तथा स्वतंत्र गवाह के अभाव में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संदेहास्पद होकर साबित व प्रमाणित नही होती है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन के अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना दिनांक 26.07.2016 को लिया गया और उसके उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर द्वारा इसकी जांच अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 05.08.2016 को किया जाना प्रकट किया है। उक्त विलम्ब किस कारण से किया गया, इसका कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में नही किया गया है। खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा जो विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गयी है उसमें उक्त खाद्य पदार्थ में ऐसा कोई अपमिश्रण नही पाया गया है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और न ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन में उक्त खाद्य पदार्थ को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। इस आधार पर अभियोजन कार्यवाही व प्रकरण को खारिज करने का आदेश पारित फरमावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल. एस./445/एक्ट/2016/495 दिनांक 05.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पनीर निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब स्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि लिये गये खाद्य नमूने पनीर Milk fat content of dry matter(सूखे पदार्थ का दूध वसायुक्त पदार्थ) 42.67 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए । इसलिए लिया गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड पनीर निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर सब स्टैण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सब स्टेण्डर्ड पनीर का विक्रय एवं निर्माण किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन

करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/—रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर

2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा

4 श्री राजेश कुमार पुत्र भगवान दास बालानी विक्रेता/मालिक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, मं.सं. 758/4, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर स्थायी पता — मं.सं. एच—99, कीर्ति नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा , चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

28/06/18

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा